प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–11.08.2018 को विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य में उत्पन्न कठिनाईयों/समस्याओं पर विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति : संधारित।
स्थान : राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, बिहार, पटना के सभा कक्ष।
समय : 12:05 बजे अपराह्न।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा किया गया। केन्द्र प्रायोजित योजना DILRMP/NLRMP के अंतर्गत बिहार राज्य में क्रियान्वित विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु चयनित हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के कार्यों में उत्पन्न कठिनाईयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया:–

i. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न समस्याओं का प्रस्तुतीकरण।

ii. तकनीकी मार्गदर्शिका पर एजेंसियों द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार–विमर्श।

iii. विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों से संबंधित समस्याओं के समाधान में एकरूपता कैसे बरती जाए ?

iv. जहाँ दो राजस्व ग्रामों के बीच प्राकृतिक विभाजन समय के साथ भौगोलिक रूप से परिवर्तित हो गई हो, वहां राजस्व ग्राम–सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए ?

बैठक में मानचित्रण निर्माण में ग्राम–सीमा निर्धारण के क्रम में आनेवाली कठिनाईयों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। स्पष्ट किया गया कि: विगत् कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण लगभग 100 वर्ष पूर्व एवं रिविजनल सर्वेक्षण भी लगभग 50 वर्ष पूर्व हुआ, जिसमें कैडेस्ट्रल सर्वे को आधार बनाकर उसका रिविजनल उसी तकनीक से किया गया, जिस तकनीक से कैड्रेस्टल सर्वे हुआ था। वर्त्तमान में क्रियान्वित सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण या पुनर्सर्वेक्षण है, जो सर्वथा नयी तकनीक अर्थात् आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पूर्व के सर्वेक्षण कार्यों में प्रयुक्त तकनीक मानव बल पर आधारित थी तथा शुद्धता का पैमाना अलग था। जबकि वर्त्तमान में प्रयुक्त तकनीक पूर्णतः आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है।

विगत् सर्वे के पश्चात् भूमि की भौगोलिक बनावट कालानुक्रम में व्यापक रूप से परिवर्तित हुई है तथा रैयतों के उत्तराधिकार, सरकार द्वारा सरकारी भूमि की बंदोबस्ती इत्यादि के कारण सर्वेक्षण करने वाले खेसरों के उप विभाजन की स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। ऐसी स्थिति में राजस्व ग्रामों की सीमाओं का सीमांकन विगत् सर्वे के ग्राम–सीमा को केवल संदर्भ मानते हुए वास्तविक वर्त्तमान भौगोलिक सीमा अथवा वर्त्तमान में सीमावर्त्ती खेसरों में शांतिपूर्ण दखल कब्जा, पूर्व और वर्त्तमान में सरकारी भूमि की स्थिति इत्यादि के आधार पर किया जाना ज्यादा व्यावहारिक एवं उपयोगी है। चूँकि वर्त्तमान में खेसरों के विभाजन की स्थिति सर्वथा भिन्न है, इसलिए नये खेसरों की नम्बरिंग वर्त्तमान परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए एवं मलिकाना हक हेतु पूर्व के खतियान, वंशानुक्रम एवं उससे उत्पन्न विभाजन तथा जमाबंदी पंजी की सहायता ली जा सकती है।

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को ग्राम–सीमा निर्धारण के क्रम में आनेवाली कठिनाईयों एवं सर्वेक्षण के क्रम में आनेवाली अन्य कठिनाईयों को दूर करने के लिए विभागीय स्तर से क्या अपेक्षाएँ हैं, इस संबंध में एजेंसियाँ अपना मार्गदर्शन/सुझाव विभाग को उपलब्ध करा सकती है ताकि उन सुझावों पर विचार करते हुए उनके वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें तकनीकी मार्गदर्शिका में शामिल किया जा सके।

सर्वेक्षण कार्य में संलग्न सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्रमवार कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रक्रमवार कार्य में आनेवाली कठिनाईयों/समस्याओं एवं उनके समाधान पर बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा निम्न निदेश दिए गए:–

1. Monumentation (प्रथम प्रक्रम)

- Show benchmark considered in the district.
- Primary Control Point - One per district
- Secondary Control Point - Control Point for every 16 km.
- Tertiary Control Point - Marking 4-5 location in every village on the ortho image and providing the co-ordinates apart from tri-junction points

1.1 किस्तवार के पूर्व यदि Control Point and Co-ordinates एजेंसी द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है तो स्थल सत्यापन एवं किस्तवार के क्रम में अमीन एवं संबंधित सर्वेक्षण दल को काफी सहूलियत होगी अतः हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को किस्तवार की प्रक्रिया के पूर्व Control Point and Co-ordinates उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

1.2 वर्त्तमान में एजेंसी द्वारा मानचित्र के Tertiary Control Point के लिए Ortho का Co-ordinate value दिया जा रहा है जबकि Tertiary Control Point का Observation value दिया जाना अनिवार्य है। अतः एजेंसी को Tertiary Control Point का Observation value निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

1.3 एजेंसी द्वारा स्पष्ट किया गया कि PCP और SCP में Geo-reference किया रहता है और जहाँ तक मानचित्र की शुद्धता का प्रश्न है तो उसके लिए मानचित्र को सर्वे ऑफ इंडिया के National Grid के साथ मिलाया जा चुका है।

1.4 ब्रॉड Geo-referencing से मानचित्र Geo-referenced है, तो शुद्ध हो जाएगा, परंतु Observation के बाद यदि कोई परिवर्त्तन की स्थिति पैदा होती है अर्थात् Geo-reference Ortho value के Point से Observation का Point Match नहीं करता है, तो बाद में उसे शुद्ध करने का पूर्ण दायित्व एजेंसी का ही होगा।

1.5 उक्त की शुद्धता की जाँच के लिए जी०आई०एस० सलाहकार, पी०एम०यू० को एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ वर्त्तमान में सर्वेक्षण कार्य किए जा रहे जिलों के ग्राम में इसकी Randomly जाँच करेंगे तथा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

1.6 मानचित्र निर्माण के क्रम में मौजा (ग्राम) के अंतर्गत आनेवाले आवासीय क्षेत्र का मानचित्रण यदि हवाई सर्वेक्षण के ऑथोफ्रोटोग्राफ से स्पष्ट नहीं हो तो उनका मानचित्रण E.T.S की सहायता से स्थल सत्यापन के आधार पर तैयार कराया जाए।

Areial Photography (द्वितीय प्रक्रम):

- Aerial Data Acquisition
- Post Processing of Raw imagees
- AT/DEM
- Ortho Image Rectification
- Ground Truthing

3. **Vectorisation of Village Maps(तृतीय प्रक्रम) :**

- Delinenation of village map boundary by using ortho imagery with reference to the existing C.S. Map.
- Digitization of each every polygon and generation of new map by using ortho imagery with reference to the exiting C.S. Map.
- Marking tri-junction point as per C.S. map and also providing Geo co-ordinates as per adjacent village boundary.
- Delinenation of ABADI Area.
- Initial submission of Map.
- Hard copy special map along with comparative statement village area of C.S. and R.S.

3.1 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को निदेश दिया गया कि विगत् सर्वे के अनुसार एवं वर्त्तमान स्थिति के अनुसार भू–मानचित्र में सीमा–रेखा को स्पष्ट रूप से अंकित करें। आबादी वाले क्षेत्र में 1:1000 एवं शेष 1:4000 के स्केल पर मानचित्र तैयार कर टोले का नाम भी अंकित करेंगे। यह भी स्पष्ट करेंगे कि कौन सा टोला गाँव के किस शीट में शामिल होगा।

3.2 सर्वे के मानचित्र और वर्त्तमान सर्वे के मानचित्र में दिए गए खेसरों के क्षेत्रफल के अंतर का प्रतिशत यदि 5 प्रतिशत से अधिक आता है तो एजेंसी द्वारा इसका स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन दिया जाएगा।

3.3 ग्राम–सीमा के शुद्धिकरण के लिए सीमा के दोनों तरफ के खेसरों के मौजा का नाम, स्वामित्व की स्थिति इत्यादि को ध्यान में रखने का भी निदेश दिया गया।

3.4 उक्त के संबंध में उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

4. **Kistwar (चतुर्थ प्रक्रम):**

- Commencement of filed work for ground verification. Identify the govt. land and reconciliation.
- False line identification and finalization of Khesra No.
- Khesra No. assignment by the Amin.
- Abadi area boundary finalization by the Amin.
- Agency Work ?
- Kishtwar Updation -Incorporation of all changes as per the ground reality in to the resurvey map by the agency.
- Submission of map soft copies of Kishtwar updated maps.
- Provide re-conciliation statement down to polygon level to establish PARENT CHILD Relationship.

4.1 किस्तवार के प्रक्रम में निदेश दिया गया कि एजेंसी किस्तवार का कार्य प्रारंभ करने के क्रम में ही मानचित्र की मुद्रित प्रति के साथ–साथ सॉफ्ट प्रति भी उपलब्ध करा दे ताकि अमीन द्वारा मुद्रित प्रति के साथ क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य किया जा सके।

4.2 एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कार्य के लिए आवश्यक E.T.S. मशीन एवं ऑपरेटर, अमीन की आवश्यकता के अनुरूप उसके साथ समन्वय स्थापित कर एजेंसी द्वारा E.T.S. उपलब्ध कराया जाएगा।

4.3 एन0आई0सी0, पटना द्वारा निर्मिते भू–अभिलेख सॉफ्टवेयर में सरकारी भूमि के लिए बने प्रतीक चिन्ह को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ शेयर करने तथा एजेंसी के Thematic Map में गैर रैयती/सरकारी भूमि की कोडिंग कर उसे अलग से प्रतीक चिन्ह (symbol) के रूप में मानचित्र में प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया।

5. Khanapuri Parcha (पंचम प्रक्रम):

- Conduct of Gram Sahbha -by A.S.O.
- Commencement of field Survey for Ground Verification. Identifying the parcel. Boundaries and filling up the details. - by Ameen and Aerial agency's representative.
- Provision of E.T.S machine by agency in ground verification.
- Khanapuri Parcha Updation - Implementation of all changes as per the ground and area reconciliation between Re-Survey map with RoR. - by Ameen and Aerial agency's representative.
- Sub-mission of Map- Hardcopies of Khanapuri updated Maps. - 4 sheets per village.

5.1 सरकार द्वारा आगामी अप्रैल–2019 से मार्च–2020 तक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः सर्वेक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर माह से प्रचार–प्रसार की कार्य–योजना तैयार की जाए। प्रचार–प्रसार के लिए आवश्यकतानुसार विडियो, विज्ञापन इत्यादि तैयार करने की योजना तैयार की जाए।

5.2 स्वघोषणा प्राप्त करने के लिए ग्रामों की अधिसूचना प्रपत्र–1 में किया जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य है, रैयतों से स्वघोषणा के साथ–साथ विहित प्रपत्र में वंशावली प्राप्त करना भी आवश्यक होगा। वंशावली प्राप्त करने एवं इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के लिए वर्त्तमान नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है, बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त के लिए अधिनियम एवं नियमावली में सर्वेक्षण की आवश्यकता के अनुकूल आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर लिया जाए।

5.3 रैयतों को स्वघोषणा देने की सूचना देते समय उन्हें इस तथ्य से भी अवगत करा दिया जाए कि वे विभाग की वेबसाईट पर अपनी जमाबंदी पंजी देख सकते है। यदि उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो, तो अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन देकर उसमें सुधार करा सकते हैं। इसके संबंध में N.I.C द्वारा निर्मित विभागीय वेबसाईट पर भू–अभिलेखों को देखने के साथ–साथ सुधार करने का भी प्रावधान कराया जाए।

5.4 सर्वेक्षण कार्यों में अमीनों के मध्य कार्य विभाजन खेसराओं की संख्या के अनुसार किया जाए न कि केवल मौजा के आधार पर क्योंकि अनेक मौजों में खेसराओं की संख्या अत्यंत कम होती है और कुछ में बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि वर्त्तमान समय से ही ग्रामवार खेसरा की संख्या प्राप्त कर अमीनों के मध्य कार्य विभाजन की योजना का प्रारूप तैयार कर लिया जाए। साथ ही अमीनों के कार्य के संबंध में सुस्पष्ट एवं विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किए जाएः–

- Updation based on form 6 (outside agency work) - Ameen
- Preparation of khanapuri updated map - Aerial agency
- Individual Land Parcel map (LPM) preparation - Aerial agency
- LPM in soft & hard copy provided to the dept. for submission - Aerial agency
- Individual LPM distribution to the raiyat by the department - Aerial agency

(By Aerial agency's respresentative)

विगत् सर्वे और वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत खेसरों के कुल क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर न हो।

5.6 सरकार के निदेशों के अनुरूप मानचित्र के खेसराओं के क्षेत्रफल का निर्धारण हो और रैयतों द्वारा उनके समर्थन में दिए जानेवाले राजस्व अभिलेख, जो मान्य हों के अनुसार क्षेत्रफल का निर्धारण किया जाए। आवश्यकतानुसार E.T.S की सहायता से संबंधित खेसरा की नापी कर वास्तविक स्थिति के आधार पर रकवा का निर्धारण करते हुए अद्यतन मानचित्र एवं अधिकार–अभिलेख तैयार किए जाएँ।

5.7 जिन राजस्व ग्रामों में चकबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका है मानचित्र तथा खतियान अंतिम रूप से प्रकाशित है तथा रैयतों का दखल चकबंदी के अनुसार है, तो वहाँ चकबंदी निदेशालय से चकबंदी का खतियान एवं चकबंदी मानचित्र बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से प्राप्त करते हुए एजेंसी एवं बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5.8 वर्त्तमान में रैयतों को दिए जाने वाले LPM (Land Parcel Map) का मुद्रण एवं वितरण हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा तथा प्रपत्र–7 खानापुरी पर्चा का वितरण डाटा इंट्री एजेंसी द्वारा किया जाता है। निदेश दिया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा LPM की सॉफ्ट प्रति डाटा शिवेर कार्यालय को उपलब्ध कराएगें। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गये एकरारनामा के अनुसार रयैतों को दिये जाने वाले LPM का निमार्ण, मुद्रर्ण, वितरण एवं तामिला का कार्य संबंधित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा। साथ ही प्रपत्र–7 के वितरण एवं तामिला का कार्य भी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

5.9 प्रपत्र–5 (तेरीज) से संबंधित जो भी डाटा एन0आई0सी0, पटना के पास संधारित है कि सॉफ्ट प्रति एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाए।

6. NIC Patna (षष्ठम प्रक्रम) :

- Objection analysis
- objection resolution
- Provision of E.T.S (su
- Provision of E.T.S support team uploading of map post adjudication

6.1 विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रैयतों से आपत्ति प्राप्त करना, उसकी समीक्षा करना तथा उनका निदान करना, बंदोबस्त कार्यालय का काम है।

6.2 एजेंसी द्वारा प्रत्येक अंचल में कितनी संख्या में ETS मशीन एवं ऑपरेटर उपलब्ध कराएगी, इस संबंध में एजेंसी अपनी कार्य–योजना तैयार कर ले। E.T.S मशीन एवं ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति शिविरवार की जाए। सर्वेक्षण से जुड़े सभी कर्मियों का, एजेंसी के कर्मियों के साथ समन्वय शिविर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

6.3 एजेंसी अपने स्तर से प्रत्येक अंचल में पदस्थापित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं अन्य कर्मियों को E.T.S संबंधी प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करे।

6.4 एजेंसी के साथ एकरारनामें में निर्धारित मानचित्र की प्रतियों/संख्या में सर्वेक्षण कार्य के क्रम में वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त मानचित्र के मुद्रण में आने वाले व्यय का आकलन N.I.C/Beltron से प्राप्त कर तद्नुसार कार्रवाई की जाए।

7. Draft and Final Publication (सातवां प्रक्रम):

- Draft publication of map
- Objection analysis if any
- Recess Form-18, Form-19, Form-20
- Objection resolution
- Provision of E.T.S support team.
- Prepartion of the map for final publication

7.1 विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानचित्र का अंतिम प्रकाशन बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी की सहायता से की जाएगी।

7.2 बैठक में विभागीय पदाधिकारियों के साथ विमर्श किया गया कि "क्या किसी राजस्व ग्राम का सर्वेक्षण अधिकतम 20 प्रतिशत आपत्तियों के निष्पादन के बिना ही किया जाना संभव है" यदि सर्वेक्षण के क्रम में अंतिम अधिकार–अभिलेख के अभ्युक्ति कॉलम में आपत्ति वाले मामलों में विवादित लिख दिया जाए तो इसका वैधानिक पक्ष क्या होगा? इस संबंध में उड़ीसा एवं गुजरात में किए जा रहे सर्वेक्षण मॉडल का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया।

8. चकबंदी से संबंधित बिन्दुओं के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि चूँकि आगामी वित्तीय वर्ष में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है और नियमतः एवं व्यावहारिक रूप से चकबंदी का कार्य, सर्वेक्षण कार्य के पश्चात् ही किया जाना है। ऐसी स्थिति में वर्त्तमान में चल रहे चकबंदी के कार्य के संबंध में तथा वैसे राजस्व ग्रामों में जहाँ चकबंदी एवं मानचित्र अंतिम रूप से प्रकाशित हैं किन्तु रैयतों की दखल दहानी नहीं हुई है वैसे मामलों पर अलग से विचार–विमर्श किया जाए।

9. शहरी क्षेत्रों, ग्रामों के टोला, टोपोलैण्ड/असर्वेक्षित भूमि, नदी किनारे की भूमि इत्यादि से संबंधित सर्वेक्षण की समस्याओं पर विचार–विमर्श हेतु पुनः बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की जाए।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–री –सर्वे (विविध) – 319/2016 1521 पटना, दिनांक :– 19-09-2018

प्रतिलिपि :– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/18
(मुकुल कुमार)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–री –सर्वे (विविध) – 319/2016 1521 पटना, दिनांक :– 19-09-2018

Fax/Mail

प्रतिलिपि :– IL & FS, New Delhi / Gis Consortium, New Delhi / IIC Technology, Hydrabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/18
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–री –सर्वे (विविध) – 319/2016 1521 पटना, दिनांक :– 19-09-2018

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/ जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0/तकनीकी कोषांग के सभी स0ब0प0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/18
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–री –सर्वे (विविध) – 319/2016 1521 पटना, दिनांक :– 19-09-2018

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/18
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप